राजस्थान सरकार

कार्यालय अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः नि.स./अध्यक्ष/मंत्री.न.वि.आ./2019/713 जयपुर, दिनांकः 15-04-2019

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 4 की उपधारा (3) एवं अन्य प्रावधानों तथा तद्धीन बनाये गये विनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते है :-

1. अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों एवं जयपुर विकास प्राधिकरण (समितियों का गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम 3 के अनुसार गठित समस्त समितियों तथा धारा 7 के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति के समस्त निर्णयों की प्रति समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण के जारी होने के 3 दिवस के भीतर प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रेषित की जायेगी और तब तक उन निर्णयों की क्रियान्विति नहीं की जायेगी।
2. उक्त समितियों की दिनांक 01.01.2019 से अब तक हुई बैठकों के कार्यवाही के विवरण की प्रति प्राधिकरण के अध्यक्ष के अवलोकनार्थ अविलम्ब भेजी जाये।
3. रुपये 20.00 लाख से अधिक के समस्त प्रोजेक्ट/स्कीम का अनुमोदन आदेश में प्राधिकरण अध्यक्ष से प्राप्त किया जावे।
4. धारा 18, 25, 28 एवं 30 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2019 के पश्चात् पारित प्रत्येक आदेश की प्रति प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रेषित की जाये और भविष्य में भी नियमित रूप से आदेश पारित होने के 3 दिवस के भीतर प्रेषित की जावें।
5. प्राधिकरण की अभियांत्रिकी शाखा, प्रवर्तन शाखा सहित सभी शाखाओं के सभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों एवं इनके समकक्ष अधिकारियों के मध्य वर्तमान में कार्य विभाजन के आदेशों की प्रति 3 दिवस में प्राधिकरण अध्यक्ष को प्रस्तुत की जावें और भविष्य में भी इन अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन का आदेश अध्यक्ष प्राधिकरण से अनुमोदित कराया जावें, अध्यक्ष के बिना अनुमोदन के कार्य विभाजन में परिवर्तन नहीं किया जावें।
6. जयपुर रीजन में जोन्स के गठन/पुनर्गठन के आदेश पर प्राधिकरण अध्यक्ष की पूर्वानुमति ली जाये।

(शान्ति धारीवाल)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नविवि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को पालनार्थ प्रेषित है।
3. समस्त अधिकारीगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(शान्ति धारीवाल)